Seventeenth Loksabha

>

Title: Need to establish an All India Institute of Speech and Hearing in Kanpur Nagar district, Uttar Pradesh-Laid.

श्री देवेन्द्र सिंह 'भोले' (अकबरपुर): मैं सरकार का ध्यान देश एवं प्रदेश के लिए दिव्यांगजनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग की स्थापना की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ ।

मूक बधिरों एवं दिव्यांगजनों के इलाज की कोई उचित व्यवस्था प्रदेश एवं देश में नहीं है जिसके कारण न जाने कितने दिव्यांग आज भी अपनी दिव्यांगता को कोसते एवं लाचारी के कारण बेहतर जिदगा को तरसते हैं । प्रदेश में दिव्यांगजनों की ऐसी दशा को देखते हए मैंने माननीय मंत्री जी से ऑल इंडिया इंस्टिटयट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग की स्थापना कराये जाने हेत आग्रह किया था । मेरे आग्रह के पूर्व से उक्त विषय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, निर्माण भवन, नई दिल्ली द्वारा जनपद कानपुर नगर में 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ स्पीच एण्ड हियरिंग सेण्टर की स्थापना हेतु 20 एकड़ निशुल्क भूमि की मांग की गयी थी जिस पर मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर नगर ने अपने कई पत्रों के माध्यम से जिला प्रशासन को उक्त सेंटर हेतु भूमि आवंटित कराये जाने की मांग की थी जिस पर अपर जिलाधिकारी, द्वारा ग्राम सुरार में 20 एकड़ भूमि निशुल्क उपलब्ध कराये जाने की संस्तुति प्रदान की गई थी । तत्कालीन जिलाधिकारी, कानपुर नगर, ने उक्त के संबंध में प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को अवगत कराया किन्तु उक्त प्रकरण में प्रदेश सरकार के सुस्त रवैये के चलते सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने पुनः अपने पत्र के माध्यम से मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन से पुन: अनुरोध किया जिस पर कार्यवाही कर तत्कालीन जिलाधिकारी, कानपुर नगर द्वारा भूमि स्थानांतरित किए जाने हेतु स्पष्टीकरण, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा को दिनांक 13-03-2018 को अपने पत्र के माध्यम से प्रेषित किया जा चुका है एवं औपचारिकताओं के संबंध में उप सचिव, चिकित्सा अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिलाधिकारी कानपुर को

अपने पत्र दिनांक 30-08-2018 के माध्यम से आदेशित किया था जिस पर जिलाधिकारी, कानपुर नगर द्वारा विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर रिपोर्ट तैयार कर प्रदेश सरकार को अपने पत्र दिनांक 11.01.2019 के द्वारा अवगत कराया जा चुका है। तत्पश्चात् उक्त प्रकरण में कार्यवाही अत्यधिक धीमी गति से की जा रही है जिसके चलते उक्त ऑफ कैम्पस सेण्टर के निर्माण में हो रहे अत्यधिक विलम्ब के कारण उत्तर प्रदेश के मूक बधिरों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुपोषण एवं अन्य परिस्थितियों के कारण उत्तर प्रदेश के मूकबधिरों की भारी संख्या को देखते हुए केन्द्र की स्थापना की महती आवश्यकता

अतः निवेदन है कि केन्द्र सरकार एवं प्रदेश सरकार को उक्त संस्थान की स्थापना एवं निर्माण अतिशीघ्र कराये जाने हेतु आवश्यक आदेश/निर्देश करने की कृपा करें जिससे जनहित में मूकबधिरों एवं दिव्यांगजनों को राहत मिल सके।